-0 छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: विषय:–रिट याचिका क्रमांक 31978/2015 द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान विरुद्ध म०प्र०शासन व अन्य।

-00-

पंजी क्रमांक 72/2016,दिनांक 21.02.2016

कृपया विवाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका में कलेक्टर जिला भोपाल ने प्रकरण में सम्पदा अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर आदेश की प्रति विभाग को उपलब्ध कराई है। प्रतिरक्षण हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करने हेतु प्रस्तुत है।

(92).2.C

रक्ता भादेश प्रारी

मा-राजल अंगीनी का विभाग

1.0.99/2016


MEDNO(5)/DER

P-1/c

○ डब्बोस-२ सचिवालय विषय: विषय:-रिट याचिका क्रमांक 31978/2015 द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान विरुद्ध म0प्र0शासन व अन्य। -00-

का विभाग





SPECIAL LEAVE PETITION (C.) No. 319780F 2015 (Against the Judgment and final order dated 08.09.2015 passed by Hon'ble High Court of Madhya Pradesh Principal Seat at Jabalpur (M.P.) in I.A. No.10658/2015 in First Appeal No.860 of 2008} (WITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF)

IN THE MATTER OF:

Khan Abdul Gaffar Khan, Social Service and Educational Society

Petitioner

Versus

The State of M.P. & Ors.

... Respondents

WITH

I.A. No.

(Application for exemption from filing Official Translation)

(PAPER - BOOK)

(KINDLY SEE INDEX INSIDE)

कार्यालय, कलेक्टर (लिटिगेशन), भोपाल

//अतिश//

कमांक / /एफ-

/ लि.0 / 2015

भोपाल, दिनांक .../92/2015

सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक—5) के आदेश सत्ताईस के नियम

1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाई हुए रुखा (द) रु

- प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्या के बार में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उडाए गए सभरत बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि मामले के लंबालन में महाधिवक्ता /शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट करेगा, यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श च किया गया था, तो उस विभाग की राज भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 2- समस्त सुसंगत फाईले, दरतायेज, नियन, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- उन बाद पत्र / याचिका में एठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरियत जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है. एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- उवल रिपोट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्त. से सम्पर्क करेंगा ।
- इगालकीय अधिवक्ता की सहायता रो लिखिल कथन/ उत्तर तैयार करवायेगा :
- हमारी अधिकारी निम्नलिखित कागज-प्रश्न भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट,
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप,
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना...... प्रश्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है .
 - (घ) गामले के विश्ववीकरण के लिए शावश्यक कागज-पत्रों की प्रतियां, इसमें बाद सुनवाई की तार्शक भी वर्शित होंनी चाहिए .
- मामले की तैयारी और संवालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों में स्वयं को सदैव ही अवगत रखना । जब भी कोई आदेश / निगय विशिष्टतया अध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब

72 main - 10 min 21 1 2016

PACK WEIGHT COPPER

विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए इस कार्यालय को भेजें ।

यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियों करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में जनय नष्ट नहीं हो ।

जैसे ही उसे स्थानान्तरण आदेश पान होता है जन वर्ष करने के लिए उसकी सूचना देने में जनय नष्ट नहीं हो ।

जैसे ही उसे स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी उशिकारी बना रहेगा जद तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए ।

प्रभारी अधिकारी, मामला नैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाए ।

प्रभारी अधिकारी या यदि कोई लाल अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाए और रिपोर्ट के जान मेजी जाए ।

प्रभारी अधिकारी या यदि कोई अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों, में जहां किसी वाद के प्रकम में पारित किए गए कसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है, अतएव वह उस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जार दिनागाञ्चल के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकाय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

पृ०कः / 1285 /एक- 2300 /लाः / विश्व कार्य विश्व कार्य विश्व प्रतिलिपः- भोपाल, दिनांक 07/109/2015.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, रिश्तिक की और सूदनार्थ भेजकर अनुरोध है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रानेरहाण आदेश जारी कराने का कब्द करें।

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विभाग की ओर भेजकर अनुलक्ष हैं. कि कृपया प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी कराने का कष्ट करें ।

महाधियक्ता, माननीय उच्छे स्यायालय मध्यप्रदेश ज्यायालय कार्यवाही हेतु 'सूधनार्थ । २१ लई राज्यायालय मध्यप्रदेश ज्यायालय कार्यवाही हेतु '

जाता है कि माननीय उच्च न्यागालय मध्यप्रदेश जबलपुर में शासकीय अधिवक्ता, से सम्पर्क कर प्रकरण से संबंधित दस्तावंज के साथ जवाबदावा अविलंब समयसीमा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित, करें तथा शासन हित में प्रतिरक्षण की व्यवस्था करें, जवाबदावे की एक-एक प्रति विभागाध्यक्ष तथा इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहे।

वाद एउ की छायाप्रति ।

S02B

8/12/15

४ अपर कलेक्टर एवं उप सचि। म. प्र. शासन विधि और विश्वावी कार्य विश्वाम

प्रतिर्लि 2-3-3-4-४० जिल्ला

13-

14-